3/8/19 सूचना प्राप्त हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार बाहर पर है
स्थगित पर है। पत्रावली दिनांक होकर, दिनांक 2/9/19 पेश हो

सूचना प्राप्त हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार बाहर पर है
स्थगित पर है। पत्रावली दिनांक होकर, दिनांक 4/10/19 पेश हो

10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील सायं उप०
अभियोजी सं. 6, 7 की ओर से वकील BL बिश्नोई
ने दिनांक 20/12/18 को अण्डरटेकिंग ली थी
आज दिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया
है जिसके विरुद्ध एक सख्त कार्यवाही समय
से चाही जाती है वहां वकील सुनी गई।
वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र
के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया
है कि प्रार्थीगण मजदूरी हेतु बाहर गये
हुए थे अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं
कर सके और दिनांक 28/9/18 को

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण सरकार बनाम दैनी में खारिज का दिया गया जो अपील पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बाबी का नाम रिस्टोर किया जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार वकील सहायक ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही उनकी बहस समझा जावे। इनकी बहस बकुलफ सुनी बाहर का मनन किया, चूंकि बाबी नवीन खंड राज्य कर्मचारी है जो सहायक है। जिनका गांव पीपाड़ शहर से 7 KM पर स्थित है। जो कि मजदूरी करने बाहर गये हुए थे जो उचित तथ्य पेश किये हैं। सो रिस्टोर का अपील पत्र श्रम न्यायालय में पेश किया है। पीपाड़ बाद अपील पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील का अपील पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मुलाजमों को समय समय पर भुगतान होगा, नगदी से कम होगा।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)